

# प्रवेश प्रारंभ 2026–2027

## कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर

**LLB-1<sup>st</sup> Sem.** के लिए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के वेबसाईड <https://www.durguniversity.ac.in/> से पहले ऑनलाईन एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना होगा तत्पश्चात् कॉलेज में मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा।

एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश मार्गदर्शिका 2026–27 अनुसार होगा) में प्रवेश के समय दी जाने वाली दस्तावेजों की सूची :-

- (1) प्रवेश फार्म शुल्क 200 रुपये एवं फार्म मिलने का समय सुबह 09 से 11 बजे तक
- (2) प्रवेश का समय सुबह 9.00 से 11.00 बजे तक
- (3) प्रवेश के समय दो फोटो (नवीन) एवं एक स्टाम्प साईज फोटो
- (4) प्रवेश शुल्क—प्रथम सेमेस्टर की फीस 18350 /— रुपये
- (5) ए.बी.सी. नम्बर होना आवश्यक है।
- (6) आधार कार्ड की फोटोकॉपी अनिवार्य
- (7) 10वीं / 12वीं अंकसूची की फोटोकॉपी
- (8) ग्रेजुएशन के तीनों अंकसूची एवं पोस्टग्रेजुवेशन दोनों अंकसूची की फोटोकॉपी
- (9) टी.सी. की मूलकॉपी अनिवार्य
- (10) ग्रेजुवेशन में 45% अनिवार्य (SC/ST 40%, OBC 42%, Gen. 45% अंक अनिवार्य)
- (11) गेप की स्थिति में (गेप सर्टीफिकेट)
- (12) अगर, अन्य राज्य (अदर यूनिवर्सिटी) से है तो माईग्रेशन एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- (13) वि.वि. नामांकन शुल्क 150 रुपये अलग से लगेगा।
- (14) माईग्रेशन शुल्क 300 रुपये, अलग से लगेगा।

  
Principal  
Kalyan Law College  
Bhilai Nagar

**नोट :- सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी तीन सेट में अवश्य रखें।**

# प्रवेश प्रारंभ 2026–2027

## कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर

**LLM-1<sup>st</sup> Sem.** के लिए हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के वेबसाईड <https://www.durguniversity.ac.in/> से पहले ऑनलाईन एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना होगा तत्पश्चात् कॉलेज में मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा।

एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर (प्रवेश मार्गदर्शिका 2026–27 अनुसार होगा) में प्रवेश के समय दी जाने वाली दस्तावेजों की सूची :-

- (1) प्रवेश फार्म शुल्क 200 रुपये एवं फार्म मिलने का समय सुबह 09 से 11 बजे तक
- (2) प्रवेश का समय सुबह 9.00 से 11.00 बजे तक
- (3) प्रवेश के समय दो फोटो (नवीन) एवं एक स्टाम्प साईज फोटो
- (4) प्रवेश शुल्क—प्रथम सेमेस्टर की फीस 21480 /— रुपये
- (5) ए.बी.सी. नम्बर होना आवश्यक है।
- (6) आधार कार्ड की फोटोकॉपी अनिवार्य
- (7) 10वीं / 12वीं अंकसूची की फोटोकॉपी
- (8) ग्रेजुएशन के तीनों अंकसूची एवं पोस्टग्रेजुएशन दोनों अंकसूची की फोटोकॉपी
- (9) टी.सी. की मूलकॉपी अनिवार्य
- (10) एल.एल.बी. में **55%** अनिवार्य (SC/ST & OBC 50%, अंक अनिवार्य)
- (11) गेप की स्थिति में (गेप सर्टीफिकेट)
- (12) अगर, अन्य राज्य (अदर यूनिवर्सिटी) से है तो माईग्रेशन एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- (13) वि.वि. नामांकन शुल्क 150 रुपये अलग लगेगा।
- (14) माईग्रेशन शुल्क 300 रुपये, अलग लगेगा।

**नोट :- सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी तीन सेट में अवश्य रखें।**

  
Principal  
Kalyan Law College  
Bhilai Nagar

## महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये सामान्य निर्देश

1. ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज जमा करें –
  - a) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति
  - b) महाविद्यालय के आवेदन पत्र जो पूरी तरह से भरी गई हो एवं पूर्ण हस्ताक्षरित हो
  - c) पासपोर्ट साइज फोटो-3
  - d) 10वीं,12वीं एवं ग्रेजुएशन की अंकसूची
  - e) गेप सर्टिफिकेट मूल प्रति (यदि लागू हो)
  - f) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति (T.C.)
  - g) चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (C.C.)
  - h) पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति (यदि लागू हो) छत्तीसगढ़ के बाहर विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य।
  - i) माईग्रेशन मूल प्रति (यदि लागू हो) छत्तीसगढ़ के बाहर विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य
  - j) छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र
  - k) जाति सत्यापन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  - l) आधार कार्ड
2. महाविद्यालय कार्यालय से उक्त दस्तावेजों को सत्यापित कराते समय समस्त मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट साइज फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिये।
3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय के नियमित सम्पर्क में रहें। महाविद्यालय में समय-समय पर जारी प्रावीण्य सूची का नियमित अवलोकन करते रहें, उन्हें अलग से व्यक्तिगत सूचित नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश न लेने पर महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं हैं।
4. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)की मूल प्रति के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश लेने के लिये –
  - a) पुलिस थाने में रिपोर्ट की प्रति देवें।
  - b) पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट लेवें जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो।

- c) विद्यार्थी वचन पत्र/शपथ पत्र देवें कि किसी भी अनियमितता अथवा असत्यता के लिये महाविद्यालय कार्यावाही करने हेतु सक्षम है एवं महाविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
6. अर्हकारी परीक्षा (स्नातक) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
  7. छत्तीसगढ़ के बाहर विद्यार्थी पात्रता एवं मार्डगेशन प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। वे शपथ पत्र देवें कि गलत/झूठी जानकारी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  8. पूर्व में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को उसी संकाय के उसी कक्षा में आगामी वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  9. प्रावीण्य सूची में दर्शाये निर्धारित समय में प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थी का नाम या तो हटा दिया जावेगा या अन्त में सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जावेगा।
  10. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिये 45%, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिये 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 42% होगी। उम्र का बंधन नहीं है।
  11. यदि विद्यार्थी किसी संस्था में कार्यरत हैं तो संस्था प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य लेवें। इस संबंध में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देवें। असत्य पाये जाने पर महाविद्यालय कार्यावाही करने हेतु सक्षम है और महा. द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
  12. विद्यार्थी शपथ पत्र में यह उल्लेखित करें कि महाविद्यालय के समयानुसार महाविद्यालय में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी। अगर यह मिथ्या पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध महा. कार्यावाही करने के लिए स्वतंत्र है।
  13. LLM कोर्स के लिए – वकालत नहीं कर रहा/रही हूँ का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

  
Principal  
Kalyan Law College  
Bhilai Nagar